प्रेस नोट दिनांक 24.09.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना आसपुर देवसरा ।

लूट की घटना को अन्जाम देने वाले शातिर अपराधी गिरफ्तार

- एडीजी जोन, आईजी रेन्ज के पर्यवेक्षण एवं एसपी प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण

- **पुलिस टीमों द्वारा उल्लेखनीय कार्य करते हुए मात्र 12 घण्टे के अन्दर लूट की शत – प्रतिशत धनराशि के साथ 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**

- एसपी सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा व सीओ श्री अब्दुश सलाम खान का मिला मार्गदर्शन व सहयोग

- स्वॉट/सर्विलांस टीम तथा थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा मय टीम द्वारा किया गया शानदार व सराहनीय कार्य, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा दिया गया प्रशस्ति पत्र ।

- दिनांक 23.09.2024 को दिन में थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रामगंज में ग्रामीण बैंक के पास से पल्सर सवार 02 अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति से झोला छीनकर भाग निकले थे ।

- व्यक्ति सुभाष चन्द्र त्रिपाठी दुकान से झोला में पैसा लेकर बड़ौदा ग्रामीण बैंक में जमा करने जा रहा था । दुकान मालिक/ थोक व्यापारी द्वारा झोला में 4 लाख 15 हजार रूपये होना बताया गया ।

- अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ व पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था

- गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 01अदद मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स, 01अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व बरामदगी (415000/-रूपये) चार लाख पन्द्रह हजार नगद रुपये बरामद।

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 23.09.2024 को दिन में थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रामगंज में बड़ौदा ग्रामीण बैंक के पास एक व्यक्ति से पैसों से भरा झोला छीनकर भागने वाले अज्ञात बदमाशों को चिन्हित कर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा घटना के महज 12 घण्टा के भीतर गिरफ्तार किया गया। एडीजी जोन प्रयागराज व आईजी रेन्ज प्रयागराज द्वारा एसपी प्रतापगढ़ व एसपी सुल्तानपुर के साथ तत्काल घटना स्थल पर पँहुचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी की गई। घटना के त्वरित अनावरण एंव अभियुक्तों को चिन्हित कर गिरफ्तारी हेतु टीमे गठित कर दी गई। टीमों द्वारा कड़ी मेहनत, उल्लेखनीय सहयोग एवं सराहनीय कार्य करते हुए लूट के शत-प्रतिशत धनराशि को बरामद कर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी टीम व थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा मय टीम को उनके द्वारा कृत्य सराहनीय पर पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा प्रशस्त्रि पत्र प्रदान कर उत्साहवर्धन किया जायेगा।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण –</u>

दिनांक 23.09.2024 को दिन में थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रामगंज में ग्रामीण बैंक के पास से पल्सर सवार 02 अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति सुभाष चन्द्र त्रिपाठी से झोला छीनकर भाग निकले थे। उपरोक्त व्यक्ति गल्ला की दुकान/थोक व्यापारी के यहाँ काम करता है। दुकान से झोला में पैसा लेकर बड़ौदा ग्रामीण बैंक में जमा करने जा रहा था। थोक व्यापारी/दुकान मालिक द्वारा झोला में 4 लाख 15 हजार रूपये होना बताया गया। घटना के संबंध में **थाना आसपुर देवसरा में मु0अ0सं0 252/24 धारा 309(4) बीएनएस** बनाम पल्सर सवार 02 अज्ञात व्यक्ति के अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा व क्षेत्राधिकारी श्री अब्दुश सलाम खान मय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया।

घटना के प्रत्येक पहलूओं की गहनता से जांच कर घटना के त्वरित अनावरण एवं अभियुक्तों को चिन्हित कर अपराधियों को सलाखों के पीछे पँहुचाने के लिए फील्डिंग सजा दी गई। संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की प्रभावी रूप से चेकिंग करने के लिए एलर्ट कर दिया गया।

इसी क्रम में टीमों द्वारा उल्लेखनीय कार्य करते हुए मात्र 12 घण्टे के अन्दर लूट की शत – प्रतिशत धनराशि के साथ 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण एवं पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा व क्षेत्राधिकारी श्री अब्दुश सलाम खान के सहयोग तथा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी आनन्द कुमार राय के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 24.09.2024 को थानाध्यक्ष आसपुर देवसराउ0नि0 श्री सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह द्वारा एसओजी प्रभारी

उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय टीम के साथ मु0अ0सं0 252/24 धारा 309(4) बीएनएस में संलिप्त अपराधियों के चिन्हीकरण/तलाश हेतु सर्विलासं टीम की मदद से वैज्ञानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर ट्रैसिंग की गई। साथ ही घटना के संबंध में सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इसी क्रम में एसओजी टीम व थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जलपा नहर के पास रामगंज रोड़ से 03 अभियुक्तों 1-दीपक वर्मा पुत्र लाल बहादुर वर्मा निवासी लवबर थाना कंधई जनद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष, 2-अभिषेक वर्मा पुत्र धर्मपाल वर्मा निवासी रामगंज थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 3- अमन जयसवाल पुत्र राकेश जयसवाल निवासी रामगंज बाजार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को 01अदद मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स, 01अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व बरामदगी (415000/-रूपये) चार लाख पन्द्रह हजार नगद रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोगों ने अमन जायसवाल की सूचना पर कल दोपहर करीब 11.30 बजे यूपी ग्रामीण बैंक रामगंज से एक व्यक्ति से हमने बैंक के सामने से यही छोला छीनकर इसमें रखे करीब चार साढे चार लाख रुपये लूट लिए थे वही लूट का पैसा इसमें है जिसे हम लोग बाँटने व छिपाने के लिए ले जा रहे है तथा हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक देशी तमंचा और कारतूस तथा अपने कुछ कपडे रखे है पकडे गये अभियुक्त अभिषेक वर्मा से कडाई से पूछताछ की गयी तो मोटरसाइकिल के बारे में बताया गया कि यह मोटर साइकिल हम लोगो ने जून महीने के अंतिम सप्ताह में माल गोदाम रोड कोतवाली नगर सुल्तानपुर से चोरी की थी

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम –

1-दीपक वर्मा पुत्र लाल बहादुर वर्मा निवासी लवबर थाना कंधई जनद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

2-अभिषेक वर्मा पुत्र धर्मपाल वर्मा निवासी रामगंज थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

3-अमन जयसवाल पुत्र राकेश जयसवाल निवासी रामगंज बाजार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

दीपक वर्मा पुत्र लाल बहादुर वर्मा निवासी लवबर थाना कंधई जनद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

01. मु0अ0सं0- 21/24 धारा 147,352,504,506,427भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0- 40/24 धारा 147,504,506,427भादवि थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी– गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से लूट के 01अदद मोटरसाइकिल हीरो HF डीलक्स, 01अदद अवैध देशी तमन्चा 315 बोर 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व बरामदगी (415000/-रूपये) चार लाख पन्द्रह हजार नगद रुपये बरामद।

पुलिस टीमें जिनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया-

- पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा व क्षेत्राधिकारी श्री अब्दुश सलाम खान की टीम द्वारा मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया गया।
- अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय की भूमिका भी सराहनीय रही है।
- थाना प्रभारी आसपर देवसरा श्री संतोष कुमार सिंह और उनकी टीम ने शानदार कार्य किया है।
- एसओजी प्रभारी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव व उनकी टीम के सहयोग से शानदार कार्य किया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –
थाना आसपुर देवसरा टीम- थानाध्यक्ष सन्तोष कुमार सिंह मय हमराह उनि0 रियाजुद्दीन आरक्षी शिवम सिंह, आरक्षी शिवशंकर यादव, चालक आरक्षी सुनील कुमार, आरक्षी रवि चौधरी, आरक्षी ज्वाला, आरक्षी मोनू, आरक्षी गौतम मौर्या, मुख्य आरक्षी यशवन्त सिंह राठौर , मुख्य आरक्षी भानु प्रताप सिंह , आरक्षी राकेश सरोज।

स्वॉट टीम- प्रभारी उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह मुख्य आरक्षी मोहित राज यादव, आरक्षी अरविन्द दूबे, आरक्षी राजेन्द्र कुमार, आरक्षी जागीर सिंह, आरक्षी आशुतोष पाण्डेय, चालक आरक्षी श्री रामसिंह।

सर्विलांस टीम- आरक्षी सनोज कुमार, आरक्षी संजय सिंह, आरक्षी प्रवीण कुमार।

बयान- अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों न हों पुलिस के नेटवर्क से बचकर निकल नहीं सकते हैं। लूट की घटना कारित करने वाले 03 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों पर नकेल लगाकर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जीरो टालरेन्स नीति के तहत प्रतापगढ़ पुलिस कार्यवाही कर रही है।

डॉ0 अनिल कुमार,
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2024

जनपद प्रतापगढ़।

- एडीजी जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर एवं आईजी रेन्ज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम द्वारा प्रतापगढ़ पुलिस के कृत्य उल्लेखनीय कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा कर पुलिस टीम की पीठ थपथपाई गई

-एडीजी जोन प्रयागराज एवं आईजी रेन्ज प्रयागराज द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध आगे भी इसी प्रकार से सराहनीय कार्य करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस टीम की पीठ थपथपा कर उत्साहवर्धन किया गया

-दिनांक 23.09.2024 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रामगंज में हुई लूट की घटना का पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में 12 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण कर शत-प्रतिशत धनराशि (लूट के कुल 4 लाख 15 हजार रूपये) की बरामदगी एवं 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

-पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा व क्षेत्राधिकारी श्री अब्दुश सलाम खान की टीम द्वारा मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया गया तथा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय की भूमिका भी सराहनीय रही है।

-स्वॉट टीम प्रतापगढ़ व थाना आसपुर देवसरा टीम का प्रशंसा कर किया गया उत्साहवर्धन

-अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर श्री सोमेन वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय, क्षेत्राधिकारी सुल्तानपुर श्री अब्दुश सलाम खान के योगदान की सराहनीय की गई।

- अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर द्वारा स्वॉट प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव तथा थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा श्री सन्तोष कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी यशवन्त सिंह राठौर, मुख्य आरक्षी भानु प्रताप सिंह, आरक्षी राकेश सरोज द्वारा कृत्य अदम्य साहसपूर्ण उत्कृष्ट कार्य व योगदान की सराहना की गई है तथा उत्साहवर्धन में DG's Commendation Disc के लिए अनुशंसा किया गया है।

सोशल मीडिया सेल,
प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2024

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण कर दुष्कर्म करने व पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना फतनपुर पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों व जनपद उन्नाव पुलिस के सहयोग से जनपद उन्नाव के थानाक्षेत्र बारासगवर के करनाईपुर शिवमंदिर शिवगंज से अभियुक्त व अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 12.09.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर में मु0अ0सं0 199/2024 धारा 137(2) का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 श्री शेषनाथ यादव मय हमराह कां0 ओम प्रकाश पाल, कां0 अजय सिंह यादव, म0कां0 मीना द्वारा मुखबिर की सूचना व इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों व जनपद उन्नाव पुलिस के सहयोग से अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र रामाश्रय वर्मा निवासी ग्राम युवराजपुर देवमई थाना मौरावां जनपद उन्नाव व अभियुक्ता भगवती पत्नी घनश्याम वर्मा निवासी ग्राम लोधारा करनाईपुर थाना पोस्ट बारा थाना बारासगवर जनपद उन्नाव को दिनांक 24.09.2024 को थानाक्षेत्र बारासगवर जनपद उन्नाव के करनाईपुर शिवमंदिर शिवगंज से गिरफ्तार किया गया तथा पीड़िता को भी बरामद किया गया है।

विवेचनात्मक कार्यवाही में अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र रामाश्रय वर्मा व अभियुक्ता भगवती पत्नी घनश्याम वर्मा को मु0अ0सं0 199/2024 धारा 137(2), 87, 3(5)2, 64 बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01- सुशील कुमार पुत्र रामाश्रय वर्मा निवासी ग्राम युवराजपुर देवमई थाना मौरावां जनपद उन्नाव।
02- भगवती पत्नी घनश्याम वर्मा निवासी ग्राम लोधारा करनाईपुर थाना पोस्ट बारा थाना बारासगपुर जनपद उन्नाव।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 श्री शेषनाथ यादव मय हमराह कां0 ओम प्रकाश पाल, कां0 अजय सिंह यादव, म0कां0 मीना थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2024

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर के उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी, दबिश के दौरान, वाद संख्या 73/12 अ0 सं0 261/12 धारा 302,504,506,34 भादवि थाना कंधई से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 01- राजेश कुमार पुत्र भीम बहादुर निवासी सोनाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

01- राजेश कुमार पुत्र भीम बहादुर निवासी सोनाही थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2024

थाना कोहंडौर - जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना कोहंडौर पुलिस की बड़ी कार्यवाही।

डकैती, लूट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त 05 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोहंडौर में गैंगेस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत

यह गैंग जनपद तथा अन्तर्जनपदीय स्तर पर अपराध कारित करते हैं।

जनपद प्रतापगढ़ में अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है जिनके गैंग का लीडर है महबूब उर्फ मोटू उर्फ महबूद

आपराधिक गैगं के सदस्य महफूज, इमराज, अरबाज, मो0नदीम हैं।

शातिर अभियुक्त महबूब तथा महफूज की गिरफ्तारी हेतु पूर्व में एसपी द्वारा 25000/- रूपये का ईनाम घोषित किया गया था

गैंग लीडर व इसके सदस्यों पर गम्भीर धाराओं में दर्जनों मुकदमें जनपद प्रतापगढ़ तथा जनपद के बाहर अमेठी, सुल्तापुर में पंजीकृत हैं

आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य है भय और आतंक का माहौल

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

अपर पुलिस अधीक्षक, पुर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल निर्देशन में थानाध्यक्ष कोहंडौर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में डकैती व लूट जैसी संगीत अपराधों में अभ्यस्थ अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की गई।

थाना कोहंडौर पर एक आपराधिक संगठित गिरोह के गैंग लीडर व सदस्य क्रमशः (गैंग लीडर) 1- महबूब उर्फ मोटू उर्फ महबूद पुत्र मासूक अली उर्फ मासूम अली निवासी बड़ा घराना थाना कोहँडौर जनपद प्रतापगढ़, (गैंग सदस्य) 2- महफूज पुत्र मुस्ताक निवासी बड़ा घराना थाना कोहंडौरा, 3- इमरान पुत्र जमील खाँ निवासी वाजिदपुर थाना कौहंडौर जनपद प्रतापगढ़, 4- अरबाज पुत्र लियाकत निवासी खमपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़, 5- मो0 नदीम पुत्र मो0 नसीम निवासी रामपुर जरियारी थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार दिनांक 23.09.2024 को मु0अ0सं0 157/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में नामजद सभी गैंगस्टर अभियुक्तगण पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा पूर्व में शातिर अभियुक्त महबूब तथा महफूज की गिरफ्तारी के लिए 25000 रूपये का ईनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त संगठित गैंग के लीडर व गैंग सदस्यों द्वारा साथ मिलकर अपने आपराधिक कृत्यों से समाज में भय एवं भय का आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित व भयभीत कर अनाधिकृत रूप से भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ के डकैती, लूट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त हो चुका है। यह गैंग जनपद तथा अन्तर्जनपदीय स्तर पर अपराध कारित करते हैं।

गैंग तथा गैंग के सदस्यों द्वारा कारित अपराध मु0अ0सं0 75/24 धारा 341, 286, 395, 412 भादवि थाना कोहंडौर तथा मु0अ0सं0 76/24 धारा 307, 399, 402 भादवि व 3/25/5/27 आर्म्स एक्ट थाना कोहंडौर में पंजीकृत अपराधों से स्पष्ट है कि गैंग लीडर अपने गैंग के सदस्यों के साथ अपराध में अत्यधिक सक्रिय है।

आपराधिक इतिहासः-

महबूब अली उर्फ मोटू उर्फ महबूद पुत्र मासूक अली उर्फ बेचू उर्फ मासूम अली नि0 वाजिदपुर थाना कोहंडौर,जनपद प्रतापगढ़

1- मु0अ0सं0- 117/13 धारा 147/149/506/324/504 भादवि थाना कोहंडौर प्रतापगढ

2-मु0अ0सं0- 09/13 धारा 147/148/149/452/323/504/435 भादवि थानाकोहंडौर प्रतापगढ

3-मु0अ0सं0- 107/12 धारा 147/148/324/323/504/506/436 भादवि व 7 सीएएल एक्ट थानाकोहंडौर प्रतापगढ

4-मु0अ0सं0- 78/13 धारा 60 EX.एक्ट थाना कोहंडौर प्रतापगढ

5-मु0अ0सं0- 189/12 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कोहंडौर प्रतापगढ

6-मु0अ0सं0- 86/12 धारा 279/337/338 भादवि थाना कोंहड़ौर प्रतापगढ

7-मु0अ0सं0- 192/19 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर, अमेठी

8-मु0अ0सं0- 205/13 धारा 307 भादविथाना कोंहंडौर प्रतापगढ

9- मु0अ0सं0-73/20 धारा 307/352 भादवि व 7 सीएलए एक्ट को0देहात सुल्तानपुर

10-मु0अ0सं0- 397/20 धारा 401 भादवि को0देहात, सुल्तानपुर

11-मु0अ0सं0- 400/20 धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना को0देहात सुल्तानपुर

12- मु0अ0सं0-401/20 धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना को0देहात सुल्तानपुर

13-मु0अ0सं0- 402/20 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना को0देहात सुल्तानपुर

अभियुक्त महफूज पुत्र मुस्ताक निवासी कस्बा कोहंडौर,थाना कोहंडौर,जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-75/24 धारा 395/341/286/412 भादवि थाना कोहंडौर प्रतापगढ

2-मु0अ0सं0-76/24 धारा 307/399/402 भादवि थाना कोहंडौर प्रतापगढ

3.- मु0अ0सं0-101/24 धारा 351(3) बीएनएस थाना कोहंडौर प्रतापगढ

4- मु0अ0सं0-397/20 धारा 401 भादवि थाना को0 देहात सुल्तानपुर

5-मु0अ0सं0-399/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना को0 देहात सुल्तानपुर

6-मु0अ0सं0-400/20 धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना को0 देहात सुल्तानपुर

7- मु0अ0सं0-401/20 धारा 411/420/467/468/471 भादवि थाना को0 देहात सुल्तानपुर

8- मु0अ0सं0-402/20 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना को0 देहात जनपद सुल्तानपुर

9- मु0अ0सं0-63/24 धारा 307 भादवि थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर

14-मु0अ0सं0- 75/24 धारा395/341/286/412 भादवि थाना कोहंडौर प्रतापगढ

15-मु0अ0सं0- 76/24 धारा 307/399/402 भादवि थाना कोहंडौर प्रतापगढ

16- मु0अ0सं0-121/12 धारा 2/3 up गुण्डा act थाना कोहडौर प्रतापगढ

17- मु0अ0सं0-393/19 धारा 41/411/412/420 भादवि थाना पीपरपुर अमेठी

18- मु0अ0सं0-12/16 धारा 379/411 भादवि थाना जेठवारा प्रतापगढ़

19- मु0अ0सं0-16/16 धारा 41/411/413 भादवि थाना जेठवारा प्रतापगढ़

20- मु0अ0सं0- 17/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेठवारा प्रतापगढ़

21- मु0अ0सं0- 101/24 धारा 351(3) बीएनएस थाना कोहंडौर प्रतापगढ

अरबाज पुत्र लियाकत नि0 खमपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहासः-

1- मु0अ0सं0 75/24 धारा 395/341/286/412 भादवि कोहंडौर प्रतापगढ

2- मु0अ0सं0 76/24 धारा 307/399/402 भादवि कोहंडौर प्रतापगढ

3- मु0अ0सं0 241/23 धारा 392 भादवि बाघराय प्रतापगढ

इमरान पुत्र जमील खान निवासी वाजिदपुर थाना कोहंडौर,जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-87/23 धारा 392/411/420/465/468 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट कोंहड़ौर जनपद प्रतापगढ

2- मु0अ0सं0-88/23 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोंहड़ौर जनपद प्रतापगढ

3- मु0अ0सं0- 75/24 धारा 395/341/286/412 भादवि थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ

4-मु0अ0सं0- 76/24 धारा 307/399/402 भादवि थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

5- मु0अ0सं0- 63/24 धारा 307 भादवि थाना शिवगढ़ जनपद सुल्तानपुर

6-मु0अ0सं0- 241/23 धारा 392/411 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

नदीम पुत्र मो0 नसीम नि0 रामपुर जरियारी थाना दिलीपपुर,जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-*

1- मु0अ0सं0 - 75/24 धारा 395/341/286/412 भादवि कोहंडौर जनपद प्रतापगढ

2- मु0अ0सं0- 76/24 धारा 307/399/402 भादवि थाना कोहंडौर प्रतापगढ

3- मु0अ0सं0- 241/23 धारा 392 भादवि थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

प्रेस नोट दिनांक 24.09.2024

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा0. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

वादी मुकदमा के पुत्र को आरोपीगणों द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाना/आत्महत्या कर लेने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत करेंटी बाइपास से करेंटी क्रासिंग के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

वादी मुकदमा के पुत्र (मृतक) के आरोपीगणों द्वारा पैसे न देने व उसका उत्पीड़न करने पर वादी के पुत्र द्वारा आत्महत्या कर लेने के संबंध में दिनांक 03.09.2023 को मु0अ0सं0 308/24 धारा 306 भादवि बनाम 03 नामजद अभियुक्तों का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा, अजीत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कुण्डा प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह मय हमराह का0 प्रेमवीर सिंह, का0 विवेक मिश्रा, का0 रंजीत प्रजापति, हे0का0 चालाक सुभाष यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 308/24 धारा 306 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 1- कमलेश पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी अलुवामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 24.09.2024 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत करेंटी बाइपास से करेंटी क्रासिंग के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कमलेश पुत्र स्व0 रामदुलारे निवासी अलुवामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक सतेन्द्र सिंह मय हमराह का0 प्रेमवीर सिंह, का0 विवेक मिश्रा, का0 रंजीत प्रजापति, हे0का0 चालाक सुभाष यादव थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।